(1)　255　(1)

COURT FEE　भारत　INDIA　बीस रुपये　TWENTY RUPEES　Rs.20

COURT FEE　भारत　INDIA　बीस रुपये　TWENTY RUPEES　Rs.20

समक्ष न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल, खण्डपीठ, जबलपुर म0प्र0

(180)

पुनरीक्षण कमांक --------/2016　निग - 3434 - I - 16

अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत
प्रस्तुतकार
19 SEP 2016
अधीक्षक
कार्यालय कमिश्नर, जबलपुर संभाग

पुनरीक्षणकर्ता/ आवेदिका　:　श्रीमति उर्मिला गौतम पुत्री श्री रामाधर गौतम उम्र लगभग 52 वर्ष निवासी- खजुराहो जिला छतरपुर म0प्र0 ।

विरुद्ध

उत्तरार्थी/ अनावेदक　:　अध्यन, योग वेदांत सेवा, समिति, सतधारा बरमान जिला - नरसिहपुर मध्य प्रदेश ।

27.9.16

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959

।। प्रशनाधीन आदेश ।।

विदवान अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान कमिश्नर महोदय संभाग जबलपुर के द्वारा राजस्व अपील प्रकरण कमांक 400/अ-6 अ/2013-2014 में पारित आदेश दिनांक 6.6.2015 से व्यथित होकर पुनरीक्षणकर्ता माननीय न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित तथ्यों एवं आधारों पर यह पुनरीक्षण याचिका माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रही है कि:-

।। त थ्य ।।

OATH COMMISSIONER
Smt. L. D. Patel
B.A. LL.B
JABALPUR

1- यह कि, उत्तरवादी द्वारा तहसीलदार करेली जिला नरसिहपुर के समक्ष राजस्व निरीक्षक/ पटवारी द्वारा मौजा बरमान कला की भूमि खसरा नंबर 169/12 एवं 169/29 की चौहदिदयों के अनुसार नक्शा दुरुस्त किए जाने का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया, जिसे तहसीलदार द्वारा चालू नक्शे में दुरुस्ती प्रस्तावित कर प्रकरण स्वीकृति हेतु कलेक्टर न्यायालय को प्रेषित किया गया, जिसे कलेक्टर महोदय द्वारा

'XXXIX(a)-BR(H)-11

(2)

राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश –ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक .....3434–एक/16.....जिला .....नरसिंहपुर.....

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
14.2.17	1– उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण उपस्थित। यह निगरानी अपर आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर म0प्र0 के प्र.क्र. 400/अ–6–अ/वर्ष 13–14 में पारित आदेश दिनांक 06/06/15 के विरूद्व इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है। 2– आवेदक के अधिवक्ता द्वारा अपने तर्कों में उन्हीं तर्कों को दोहराया गया जो मेमो ऑफ निगरानी में लेख है। अनावेदक अधिवक्ता द्वारा मौखिक तर्क प्रस्तुत किए गए। 3– प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार करेली जिला नरसिंहपुर के समक्ष एक आवेदन पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया था कि मौजा बरमानकलां स्थित भूमि खसरा क्र 169/12 एंव 169/29 का चौरहदी अनुसार नक्शा दुरूस्त किया जावे जिसके आधार पर तहसीलदार द्वारा प्रकरण पंजीबद्व कर कलेक्टर नरसिंहपुर से नक्शे में दुरूस्ती की अनुमति प्राप्त कर दिनांक 29/4/13 को अपना अंतिम आदेश पारित किया गया जिसके विरूद्व आवेदक द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी नरसिंहपुर के समक्ष प्रस्तुत किए जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपील को स्वीकार कर तहसीलदार का आदेश निरस्त किया गया जिसके विरूद्व अनावेदक द्वारा अपर आयुक्त जबलपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी जिसमें अपर आयुक्त द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त कर दिया गया जिसका पुर्नविलोकन किए जाने हेतु एक आवेदन पत्र आयुक्त जबलपुर संभाग के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसमें आयुक्त द्वारा इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है जिसके विरूद्व यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।	

प्र0क्र0 3534-एक/16 निग0

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	4— आवेदक का तर्क है कि भूमि खसरा क्र 169/12 रकवा 1.214 हे राजस्व अभिलेख में आशाराम बापू के नाम पर दर्ज है इसी प्रकार खसरा क्र 169/29 रकवा 0.405 हे अनावेदक के तथा खसरा क्र 169/20 रकवा 0.405 आवेदक के नाम पर दर्ज है। विचारण न्यायालय तहसीलदार द्वारा प्रकरण में कोई साक्ष्य अंकित किए बिना एंव सुनवाई का समुचित अवसर प्रदाय किए बिना अपना आदेश पारित किया था जिसको अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विधिसम्मत् रूप से निरस्त किया गया परंतु अपर आयुक्त द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के आदेश में हस्तक्षेप कर विधिक भूल की है। उनका यह भी तर्क है कि प्रश्नाधीन भूमि का विधिवत् कोई सीमांकन नहीं किया गया तथा आवेदक द्वारा सीमांकन हेतु प्रस्तुत आवेदन के आधार पर राजस्व निरीक्षक द्वारा अपने प्रतिवेदन दिनांक 7/2/2014 में स्पष्ट लेख किया था कि अनावेदक द्वारा आवेदक की भूमि खसरा क्र 169/20 रकवा 0.405 के अंशभाग 0.380 पर अवैध कब्जा है परंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्य पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। आवेदक द्वारा आगे अपने तर्क में कहा गया है कि प्रश्नाधीन भूमि खसरा क्र 169/12 में से ही सृजित की गयी है तथा खसरा में पूर्व से बटांक कायम थे तथा नक्शे में भी पूर्व से तरमीम थी जिस कारण से विचारण न्यायालय को नक्शा सुधार की कोई अधिकारिता प्राप्त नहीं थी। उनके द्वारा उपरोक्त आधारों पर यह निगरानी स्वीकार किए जाने का अनुरोध किया गया है। 5— अनावेदक द्वारा तर्क में कहा गया है प्रश्नाधीन भूमि उनके द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय की गयी है जिसकी चौरहदी विक्रय पत्र में स्पष्ट रूप से लेख है जिसके आधार पर तहसीलदार द्वारा अपनी अधिकारिता के अंदर स्थल निरीक्षण उपरांत अपना आदेश पारित किया गया है। उनके द्वारा तर्क में यह भी कहा गया है कि विचारण न्यायालय द्वारा आवेदक को पर्याप्त साक्ष्य व सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया था परंतु आवेदक अपने पक्ष सर्मथन में कोई दस्तावेजी अथवा मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत करने में असमर्थ रहा है। उपरोक्त आधारों पर उनके द्वारा यह निगरानी निरस्त कर अपर आयुक्त	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	जबलपुर का आदेश यथावत् रखे जाने की प्रार्थना की गयी है। 6— उभय पक्ष के तर्कों पर विचार किया एवं प्रकरण का तथा अभिलेख का अवलोकन किया। प्रकरण में तहसीलदार करेली के समक्ष प्रश्नाधीन भूमि का नक्शा सुधार किए जाने हेतु आवेदन पत्र मोहनसिंह पटेल एंव अन्य द्वारा प्रस्तुत किया गया था। संहिता की धारा 107 में स्पष्ट प्रावधान है कि नक्शा में दुरूस्ती किए जाने की अधिकारिता केवल जिला कलेक्टर को है परंतु प्रस्तुत प्रकरण तहसीलदार करेली द्वारा कलेक्टर को प्राप्त शक्तियों का उपयोग कर आदेश पारित किया है भले ही उनके द्वारा कलेक्टर से अनुमति प्राप्त की गयी थी जिसको में संहिता की धारा 107 के पूर्णतः विपरीत मानता हूँ। तहसीलदार करेली द्वारा प्रस्तावित नक्शा सुधार किए के पूर्व प्रकरण में पर्याप्त साक्ष्य अंकित नहीं की गयी और ना स्वंय उभय की साक्ष्य अंकित करायी गयी जिससे स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा आवेदक को सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान नहीं किया गया है जो कि प्राकृतिक न्याय के विपरीत है तथा जिस आधार पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विधि सम्मत् आदेश पारित किया था जिसमें हस्ताक्षेप कर अपर आयुक्त द्वारा विधिक भूल की है। अतः प्रकरण की समग्र परिस्थितियों पर विचार के उपरान्त प्रकरण की अद्यतन स्थिति के परिप्रेक्ष्य में आवेदक का अनुरोध स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है । 7— उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की जाकर अपर आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर का आदेश दिनांक 29/6/2016 निरस्त किया जाता है तथा अनुविभागीय अधिकारी नरसिंहपुर का आदेश दिनांक 25/1/14 यथावत् रखा जाता है। तदानुसार यह प्रकरण निराकृत किया जाता है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। सदस्य	